प्रथम सूचना रिपोर्ट

(अन्तर्गत धारा 154 दण्ड प्रक्रिया संहिता)

1. जिला बीकानेर – **थाना प्रधान आरक्षी केन्द्र, भ्र.नि.ब्यूरो जयपुर**............वर्ष ....**2022**................
2. प्र.इ.रि.सं..............302........./2022............. दिनांक 2/8/2022........................
   (I) * अधिनियम – **भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (संशोधन 2018)**. धारा – **7.....**
   (II) * अधिनियम ....धारा – ....
   (III) * अधिनियम..............................–.............................. धाराएं....................–........................
   (IV) * अन्य अधिनियम एवं धाराएं ....–...
3. (अ) रोजनामचा आम रपट संख्या ....33........समय.............6.00 P.M..............
   (ब) अपराध घटने का दिन व समय– सोमवार **दिनांक 29.07.2022 वक्त 08:25 ए.एम**
   (स) थाना पर सूचना प्राप्त होने की दिनांक – ....26.07.2022 वक्त 02:00 पी.एम..... ......
4. सूचना की किस्म :– लिखित / मौखिक – **लिखित**
5. घटनास्थल :–
   (अ) पुलिस थाना से दिशा व दूरी – –
   (ब) पता – **भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो चौकी बीकानेर**
   बीटसंख्या.......–.............जुरायमदेही सं..........................
   (स) यदि इस पुलिस थाना से बाहरी सीमा का है तो पुलिस थाना ......–..............................
6. परिवादी / सूचनाकर्ता :–
   (अ) नाम – **श्री साहिल कुमार**
   (ब) पिता / पति का नाम – स्व. श्री राजेंद्र कुमार
   (स) जन्म तिथि / आयु – **27** वर्ष
   (द) राष्ट्रीयता – **भारतीय**
   (य) पासपोर्ट संख्या.................. जारी होने की तिथि...... जारी होने की जगह ....
   (र) पेशा – मजदूरी
   (ल) पता – **मकान सं. 56, वार्ड नं. 15, पदमपुर, जिला श्रीगंगानगर**
7. ज्ञात / अज्ञात संदिग्ध अभियुक्तों का ब्यौरा सम्पूर्ण विशिष्टयों सहित :–
8. श्री अरुण कुमार अटल पुत्र स्व. कालूराम अटल, निवासी रामदेव कॉलोनी, ग्रा.पो. कूकस, तहसील आमेर, जिला जयपुर हाल कनिष्ठ सहायक, कार्यालय मुख्य अभियंता (प्रशासन) जन स्वा.अभि. विभाग, जयपुर हाल पदस्थापन संयुक्त सचिव–प्रथम, जन स्वा. अभि. विभाग, सचिवालय, जयपुर
9. परिवादी / सूचनाकर्ता द्वारा इतला देने में विलम्ब का कारण :– **कोई विलम्ब नहीं।**
10. चुराई हुई / लिप्त सम्पत्ति की विशिष्टियां (यदि अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगाये)......
11. चुराई हुई / लिप्त सम्पत्ति का कुल मुल्य ....–..
12. पंचनामा यू. डी. केस संख्या (अगर हो तो) ....–...
13. विषय वस्तु प्रथम इत्तिला रिपोर्ट (अगर अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगाये) :–

महोदय,

निवेदन है कि दिनांक 26.07.2022 को श्री साहिल कुमार पुत्र राजेंद्र कुमार निवासी मकान संख्या 56, वार्ड नं. 15, पदमपुर, जिला श्रीगंगानगर भ्रनिब्यूरो चौकी बीकानेर पर उपस्थित होकर अति. पुलिस अधीक्षक, भ्रनिब्यूरो, चौकी बीकानेर के समक्ष लिखित रिपोर्ट प्रस्तुत की कि "सेवा में, श्रीमान् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, बीकानेर, विषय : श्री अरुण कुमार अटल लिपिक सचिवालय राज. जयपुर को रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़वाने बाबत। महोदय, मैं प्रार्थी साहिल कुमार पुत्र स्व. राजेंद्र कुमार उम्र 27 वर्ष जाति धानक निवासी वार्ड नं. 15, धानक मोहल्ला, पदमपुर जिला श्रीगंगानगर का निवासी हूं। मेरे पिताजी श्री राजेंद्र कुमार वाटर वर्क्स विभाग 23 बीबी पदमपुर में फिटर –।। के पद पर सेवारत थे। जिनका स्वर्गवास 29.06.2020 में हो गया। इसके उपरांत मैंने अनुकंपात्मक नियुक्ति कनिष्ठ सहायक पद के लिए पीएचईडी विभाग कार्यालय सहायक अभियंता पदमपुर में आवेदन किया था। अनुकंपात्मक नियुक्ति के लिए विलंब हो जाने के कारण जल भवन जयपुर द्वारा शिथिलता प्राप्त करने हेतु मेरी नियुक्ति का प्रकरण राज्य सरकार कार्मिक विभाग

शासन सचिवालय, जयपुर को भिजवाया गया था जहां से शिथिलन अनुमति दिनांक 07.07.22 को हो चुकी है। श्री अरुण कुमार अटल बाबू सचिवालय जयपुर अपने वाटसएप नंबर 7877092762 से मुझे शिथिलन अनुमति की नोटशीट मेरे वाटसएप नं. 7240354380 पर दिनांक भेज दी थी। और मेरे से उक्त नंबरों से वार्ता कर रहा कि आपका काम हो गया है। आपकी नियुक्ति आपकी मन पसंद जगह पर करवा दूंगा। आप मुझे 20000/– रुपये खर्चा पानी दो, मैंने अरुण कुमार जी बाबू को कहा कि अभी मेरी माताजी की तबीयत ठीक नहीं है, मैं बाद में बात करता हूं मैंने बहाना बनाया था। फिर उसी दिन वाटसएप मैसेज किया कि 20000/– रुपये देने होंगे, इस वाट्सएप मैसेज को मेरे द्वारा रीड करते ही श्री अरुण कुमार बाबू ने डिलीट कर दिया है। मैं मेरे जायज काम के अरुण कुमार बाबू कार्मिक विभाग शासन सचिवालय, जयपुर को रिश्वत नहीं देना चाहता हूं। मैं अभी तक श्री अरुण कुमार से कभी व्यक्तिशः नहीं मिला, ना ही जानता हूं। कृपया कानूनी कार्यवाही करने की कृपा करें। प्रार्थी एसडी साहिल, (साहिल कुमार पुत्र स्व श्री राजेंद्र कुमार), निवासी वार्ड नं. 15, झूलेलाल मंदिर के पास, पदमपुर, जिला श्रीगंगानगर मो. नं. 7240354380, दिनांक 26/07/22

समय 02:00 पीएम पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री रजनीश पूनियाँ ने मन् पुलिस निरीक्षक आनन्द मिश्रा को अपने कक्ष में बुलाकर पास बैठे व्यक्ति से परिचय कराते हुए इनका नाम साहिल कुमार पुत्र श्री राजेन्द्र कुमार निवासी पदमपुर, जिला श्रीगंगानगर होना बताया। श्री साहिल कुमार द्वारा प्रस्तुत लिखित रिपोर्ट विरूद्ध श्री अरूण कुमार अटल लिपिक सचिवालय राजस्थान जयपुर पर अग्रिम कार्यवाही करने हेतु मन् पुलिस निरीक्षक को निर्देशित कर परिवादी श्री साहिल कुमार द्वारा प्रस्तुत लिखित रिपोर्ट सुपूर्द की। इस पर मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा परिवादी श्री साहिल कुमार की लिखित रिपोर्ट श्री अरूण कुमार अटल लिपिक सचिवालय राजस्थान जयपुर को रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़वानें बाबत् का अवलोकन किया गया। तत्पश्चात परिवादी श्री साहिल कुमार को हमराह लेकर मन् पुलिस निरीक्षक अपने कक्ष में उपस्थित आया। मजिद दरियाफ्त पर श्री साहिल कुमार ने बताया कि मैं कक्षा बाहरवीं पास हूं। यह लिखित रिपोर्ट जिस पर मेरे ही हस्ताक्षर है। मेरे पिताजी स्व. श्री राजेन्द्र कुमार फिटर–II पी.एच.ई.डी. विभाग पदमपुर का स्वर्गवास दिनांक 29.06.2020 को हो गया था। अनुकम्पात्मक नियुक्ति हेतु मेरी माताजी की सहमति पर कनिष्ठ सहायक के पद के लिए कार्यालय सहायक अभियन्ता, पी.एच.ई.डी. पदमपुर में मेरे नाम से नियुक्ति प्रदान करने हेतु आवेदन किया गया था। मेरे द्वारा नियमानुसार निर्धारित समयावधि में विभाग में अनुकम्पात्मक नियुक्ति हेतु आवेदन किया गया था परन्तु विभागीय प्रक्रिया में विलम्ब होने से पी.एच.ई.डी. विभाग पदमपुर द्वारा मेरा नियुक्ति का प्रकरण जल भवन, जयपुर भिजवा दिया गया था। जहां से शिथिलन प्राप्त करने हेतु पत्रावली कार्मिक विभाग, शासन सचिवालय राजस्थान जयपुर भिजवाई गई थी। इस प्रकरण में दिनांक 07.07.2022 को शिथिलन अनुमति प्राप्त हो गई जिसकी नोटशीट श्री अरूण कुमार अटल, बाबू कार्मिक विभाग, सचिवालय जयपुर ने अपने व्हाट्सअप नम्बर 7877092762 से मुझे मेरे व्हाट्सअप नम्बर 7240354380 पर दिनांक 13.07.2022 को सेण्ड की थी तथा मेरे से उक्त नम्बर पर सामान्य कॉल करके कहा कि मैं आपको मनपसन्द जगह नियुक्ति दिलवा दूंगा 20,000/–रूपये खर्चा पानी मुझे देने होंगे, नहीं तो आपकी यह शिथिलन अनुमति रनिंग में डाल दूंगा, जिस कारण आपको इस वर्ष नियुक्ति मिलनी संभव नहीं होगी। श्री अरूण कुमार अटल ने उसी दिन मुझे व्हाट्सअप नम्बर पर 20,000/– रूपये खर्चा पानी देने का मैसेज भी किया था। मेरे द्वारा मैसेज रीड करने के बाद श्री अरूण कुमार ने अपने मोबाईल से अविलम्ब मैसेज को ऑल डिलीट कर दिया गया। व्हाट्सअप चैट लगातार जारी है। श्री अरूण कुमार अटल अपने आप को कार्मिक विभाग में लिपिक बता रहा है। मैं अभी तक उससे व्यक्तिशः कभी नहीं मिला हूं। मेरी नियुक्ति की पत्रावली अभी तक वापिस जल भवन में सचिवालय से प्राप्त होने की मुझे कोई जानकारी नहीं है। श्री अरूण कुमार अटल मुझे बार बार व्हाट्स अप चैट कर रहा है। मैं मेरे जायज कार्य की एवज में रिश्वत नहीं देना चाहता, मैं मेरी इच्छा से यह कार्यवाही भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, चौकी बीकानेर से करवाना चाहता हूं। श्री अरूण कुमार रिश्वती राशि संभवतः ऑनलाईन ही प्राप्त कर सकता है। मेरी अरूण कुमार अटल से कोई दुश्मनी व रंजिश नहीं है। कृपया कानूनी कार्यवाही करावें।

परिवादी साहिल कुमार ने मुझ पुलिस निरीक्षक को बताया कि आरोपी श्री अरुण कुमार अटल मुझसे बार बार व्हाट्सऐप चैट के माध्यम से वार्ता कर रहा है तथा कॉल करके मुझे मिलने वाली नियुक्ति में भी रुकावट डालने की बात कह रहा है। मुझे आज भी आरोपी ने कई बार अलग अलग मैसेज भेजे हैं। परिवादी ने आगे बताया कि मेरे द्वारा आरोपी को कॉल करने पर वह पुनः मेरी अनुकंपात्मक नियुक्ति कार्य के लिए मुझसे रिश्वत मांग करेगा। इस पर श्री प्रेमाराम कानि. 218 के माध्यम से मालखाना से डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड मंगवाया गया। परिवादी व प्रेमाराम कानि. का आपसी परिचय करवाया गया व डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर की प्रकिया से समझाया

आनन्द

गया। तत्पश्चात् ब्यूरो के डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर को ऑन किया जाकर परिवादी के मोबाइल नंबर 7240354380 से आरोपी अरुण कुमार अटल के मोबाइल नंबर 7877092762 पर सामान्य वॉयस कॉल करवाई तथा आरोपी अरुण कुमार अटल के द्वारा कॉल को डिसकनैक्ट कर पुनः परिवादी को कॉल कर वार्ता की गई। डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड वार्ता में परिवादी व आरोपी की वार्ता में रिश्वत मांग के तथ्य स्पष्ट नहीं पाए गए। परिवादी ने बताया कि आरोपी अरुण कुमार अटल पूर्व में मेरे अनुकंपात्मक नियुक्ति कार्य के लिए मुझसे 20000 रुपये रिश्वत मांग चुका है तथा वह स्वयं ही बार बार व्हाट्सऐप मैसेज व कॉल करके मेरी अनुकंपात्मक नियुक्ति कार्य के लिए रिश्वत प्राप्त करना चाहता है। इसलिए वह अवश्य ही पुनः मुझसे रिश्वत की मांग करेगा। इसके पश्चात् परिवादी साहिल कुमार द्वारा आवश्यक कार्य से ब्यूरो कार्यालय से प्रस्थान की अनुमति चाहने पर कार्यवाही संबंधी औपचारिकताओं की जानकारी प्रदान की गई। मुझ पुलिस निरीक्षक द्वारा परिवादी को अवगत करवाया गया कि आरोपी की ओर से किसी प्रकार की कॉल या मैसेज के द्वारा संपर्क होने पर मुझ पुलिस निरीक्षक को अबिलंब अवगत करवाते हुए ब्यूरो कार्यालय पर अपनी उपस्थिति दें। कुछ देर बाद साहिल कुमार द्वारा मुझ पुलिस निरीक्षक को जरिये मोबाइल फोन अवगत करवाया कि आरोपी अरुण कुमार अटल द्वारा अभी समय 08:00 पीएम के लगभग मुझसे संपर्क करने के लिए मेरे मोबाइल नंबर व्हाट्सऐप मैसेज भेजा है। जिस पर परिवादी को ब्यूरो कार्यालय पहुंचने के निर्देश दिए। कुछ देर पश्चात् परिवादी ब्यूरो कार्यालय पर उपस्थित हुआ। तत्पश्चात् आरोपी श्री अरुण कुमार अटल के कॉल की प्रतीक्षा की गई, परंतु आरोपी की ओर से कोई कॉल नहीं आई, केवल व्हाट्सऐप संदेश के माध्यम से 2–3 संक्षिप्त औपचारिक संदेश परिवादी को भेजे गए। परिवादी द्वारा अवगत करवाया गया कि मेरा पदमपुर जाना अति आवश्यक है क्यूंकि मेरी माताजी के गुम हो जाने पर पुलिस थाना पदमपुर में एमपीआर दर्ज है। इस पर मुझ पुलिस निरीक्षक द्वारा परिवादी को कार्यवाही की जानकारी प्रदान की गई तथा परिवादी की मजबूरी को देखते हुए पदमपुर जाने की अनुमति प्रदान की गई तथा परिवादी को अवगत करवाया गया कि आरोपी की ओर से किसी प्रकार की कॉल या मैसेज के द्वारा संपर्क होने पर मुझ पुलिस निरीक्षक को अबिलंब अवगत करवाएं। दिनांक 27.07.2022 समय 11:22 एएम पर मुझ पुलिस निरीक्षक द्वारा परिवादी साहिल कुमार से जरिये मोबाइल फोन संपर्क करने पर परिवादी ने बताया कि आरोपी अरुण कुमार अटल ने पुनः आज मुझसे व्हाट्सऐप मैसेज के माध्यम से संपर्क किया है। इसलिए यदि आप ब्यूरो कार्यालय से किसी को पदमपुर या कैंचिंया भेज दें तो मैं आरोपी अरुण कुमार अटल से वार्ता करके रिश्वत मांग सत्यापन की कार्यवाही करवा सकता हूं। इस पर श्रीमान् अति. पुलिस अधीक्षक महोदय से अब तक के तथ्यों के संबंध में विचार विमर्श किया गया व निर्देश प्राप्त कर श्री प्रेमाराम कानि को परिवादी साहिल कुमार के सुविधाजनक स्थान पदमपुर अथवा कैंचियां पहुंचकर परिवादी व आरोपी के मध्य होने वाली रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता को रिकॉर्ड करने के निर्देश प्रदान किए गए। प्रेमाराम कानि को डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर मय ममेरी कार्ड सुपुर्द किया जाकर ब्यूरो चौकी से रवाना किया गया। समय 06:56 पीएम पर श्री प्रेमाराम कानि. ने मुझ पुलिस निरीक्षक को जरिये मोबाइल कॉल बताया कि बीकानेर से रवाना होकर मैं आज परिवादी की सुविधानुसार कैंचिंया पहुंचा। आरोपी द्वारा आज भी परिवादी को कई बार व्हाट्सऐप संदेश भेजे गए थे। श्री प्रेमाराम कानि. ने अवगत करवाया कि डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर चालू किया जाकर परिवादी की आरोपी अरुण कुमार अटल से वार्ता करवाई गई जिसमें आरोपी द्वारा 20000 रुपये रिश्वत मांग किया जाना तथा मनपसंद जगह पर नियुक्ति करवाने की बात करना स्पष्ट हुआ है तथा आरोपी द्वारा ऑनलाईन रिश्वत प्राप्त करने की बात परिवादी से कही है। इस पर मुझ पुलिस निरीक्षक द्वारा परिवादी से वार्ता की गई तो आरोपी द्वारा अपनी सुविधानुसार ऑनलाईन रिश्वत प्राप्ति हेतु बाद में सुविधानुसार नंबर शेयर करने का बताया, प्रेमाराम कानि. को परिवादी की सुविधानुसार वहीं पर रुकने के निर्देश दिए गए। दिनांक 28.07.2022 समय 11:42 एएम पर श्री प्रेमाराम कानि. ने मुझ पुलिस निरीक्षक को जरिये मोबाइल कॉल बताया कि मैं परिवादी की सुविधानुसार रात्रि पदमपुर में रुका था। समय 11:21 एएम पर डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर चालू किया जाकर परिवादी की आरोपी अरुण कुमार अटल से वार्ता करवाई गई जिसमें परिवादी द्वारा सांकेतिक रुप से ऑनलाईन रिश्वत भेजने हेतु आरोपी से नंबर मांगे गए थे जिस पर समय 11:36 एएम पर आरोपी श्री अरुण कुमार अटल द्वारा परिवादी को व्हाट्सऐप मैसेज करके 9119141872 नंबर भेजे हैं। इस पर मुझ पुलिस निरीक्षक द्वारा प्रेमाराम कानि. को निर्देशित किया गया कि आप परिवादी को लेकर बीकानेर ब्यूरो चौकी पर उपस्थिति दें। हालात श्रीमान् अति. पुलिस अधीक्षक महोदय को निवेदन किए गए। परिवादी व प्रेमाराम कानि. से हुई वार्ता अनुसार परिवादी व आरोपी के मध्य ऑनलाईन रिश्वत लेनदेन की आगामी कार्यवाही की संभावना देखते हुए श्री नरेंद्र कुमार हैड कानि. कार्यालय निदेशक, प्रारंभिक शिक्षा, बीकानेर से दो स्वतंत्र साक्षिगण श्री मोहम्मद अली प्रोग्रामर एवं श्री अरुण कुमार वर्मा, सांख्यिकी अधिकारी को ब्यूरो कार्यालय पर

निर्देशानुसार लेकर उपस्थित हुए। दोनों राजपत्रित अधिकारियों श्री मोहम्मद अली व श्री अरुण कुमार वर्मा को दिनांक 29.07.2022 को समय 07:30 एएम पर ब्यूरो कार्यालय पर उपस्थित होने तथा इस दौरान पूर्व में आवश्यकता होने पर अविलंब ब्यूरो कार्यालय उपस्थित होने के निर्देश प्रदान कर ब्यूरो कार्यालय से रवाना किया गया। समय 06:00 पीएम पर श्री प्रेमाराम कानि. मय परिवादी श्री साहिल कुमार ब्यूरो चौकी पर उपस्थित हुए। श्री प्रेमाराम द्वारा डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड मुझ पुलिस निरीक्षक को सुपुर्द किया गया। परिवादी व प्रेमाराम से तथ्यों की जानकारी प्राप्त की गई तथा परिवादी व आरोपी के मध्य हुई व्हाट्सऐप चैटिंग का अवलोकन किया गया। तत्पश्चात् मुझ पुलिस निरीक्षक द्वारा परिवादी श्री साहिल कुमार से कार्यवाही के तथ्यों पर चर्चा हुई व परिवादी को उचित निर्देश प्रदान किए गए। परिवादी द्वारा अवगत करवाया गया कि आरोपी बार बार मैसेज करता रहता है व रिश्वत प्राप्त करना चाहता है जिस पर परिवादी को निर्देशित किया गया कि कल दिनांक 29.07.2022 को ऑनलाईन ट्रांजैक्शन के लिए अपने फोनपे अकाउंट में पर्याप्त 20000 रुपये बैलेंस रखें। परिवादी द्वारा सुविधानुसार रात्रि में बीकानेर में ही रुकने की इच्छा प्रकट करने पर परिवादी को ब्यूरो चौकी से रवाना किया गया।

दिनांक 29.07.2022 को पूर्व निर्देशानुसार दोनों स्वतंत्र साक्षिगण श्री मोहम्मद अली, श्री अरुण कुमार वर्मा व परिवादी श्री साहिल कुमार ब्यूरो कार्यालय पर उपस्थित हुए। दोनों स्वतंत्र गवाहों का परिवादी श्री साहिल कुमार से आपसी परिचय करवाया गया तथा गवाहों को ब्यूरो की गोपनीय कार्यवाही में स्वतंत्र गवाह रहने की सहमति चाहे जाने पर श्री मोहम्मद अली व श्री अरुण कुमार वर्मा ने अपनी अपनी स्वैच्छिक सहमति जाहिर की। तत्पश्चात् दोनों को गोपनीय कार्यवाही में बतौर स्वतंत्र गवाह शामिल कर परिवादी श्री साहिल कुमार के द्वारा करवाई जा रही कार्यवाही के तथ्यों से अवगत करवाया जाकर अग्रिम कार्यवाही जारी की गई। स्वतंत्र साक्षिगण के समक्ष परिवादी से जानकारी लेने पर परिवादी श्री साहिल कुमार ने अवगत करवाया गया कि मेरे द्वारा उपयोग में लिए जा रहे ओप्पो मोबाइल में दो मोबाइल नंबर 7240354380 व 9983659595 की सिम हैं जिसमें से मेरे मोबाइल नंबर 7240354380 पर आरोपी श्री अरुण कुमार अटल द्वारा मुझे कॉल तथा व्हाट्सऐप मैसेज भेजे जा रहे हैं तथा मेरा आरोपी से इसी नंबर के द्वारा अब तक संपर्क होता रहा है। मेरे दूसरे मोबाइल नंबर 9983659595 पर मैं फोनपे चलाता हूं। आरोपी द्वारा मेरी नियुक्ति के लिए मांगी जा रही 20000 रुपये की रिश्वत राशि मैं मेरे फोनपे नंबर 9983659595 से आरोपी द्वारा मुझे व्हाट्सऐप मैसेज से खुद के उपलब्ध करवाए गए फोनपे नंबर 9119141872 पर भेजूंगा। यह नंबर मुझे श्री अरुण कुमार अटल ने कल व्हाट्सऐप मैसेज के माध्यम से भेजे थे। उपर्युक्त तथ्यों के संबंध में उपस्थित स्वतंत्र साक्षिगण को परिवादी श्री साहिल कुमार के मोबाइल फोन का अवलोकन करवाया गया। परिवादी के पास ओप्पो कंपनी का मोबाइल फोन है जिसमें मोबाइल नंबर 7240354380 व 9983659595 के सिम कार्ड होने पाए गए। परिवादी साहिल कुमार के मोबाइल में फोनपे एप मोबाइल नंबर 9983659595 पर सक्रिय होना पाया गया। परिवादी के मोबाइल के व्हाट्सऐप नंबर 7240354380 व आरोपी के मोबाइल व्हाट्सऐप नंबर 7877092762 के मध्य पूर्व में हुई चैटिंग का तथा आरोपी के व्हाट्सऐप नंबर 7877092762 की संपूर्ण प्रोफाईल का विस्तृत अवलोकन करवाया गया जिसमें आरोपी द्वारा परिवादी को भेजे गए व्हाट्सऐप संदेश डिलीट कर दिया जाना पाया गया। आरोपी श्री अरुण कुमार अटल द्वारा दिनांक 28.07.2022 को समय 11:36 एएम पर परिवादी को व्हाट्सऐप संदेश से भेजा गया मोबाइल नंबर 9119141872 चैटिंग में सुरक्षित पाया गया। उक्त कार्यवाही की फर्द मोबाइल अवलोकन पृथक् से तैयार कर शामिल कार्यवाही की गई। इसके बाद रिश्वत मांग सत्यापन वार्ताएं एवं परिवादी के मोबाइल पर व्हाट्सऐप चैट से प्रापत तथ्यों के अनुसार आरोपी द्वारा परिवादी से ऑनलाईन रिश्वत मांग करने की पुष्टि के क्रम में परिवादी श्री साहिल कुमार को उचित निर्देश प्रदान किए जाकर डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर को साक्षिगण के समक्ष ऑन किया जाकर समय 08:10 एएम पर परिवादी श्री साहिल कुमार के मोबाइल नंबर 7240354380 से आरोपी श्री अरुण कुमार अटल, एलडीसी, प्रतिनियुक्ति सचिवालय, जयपुर, मूल विभाग–जल भवन, जयपुर के मोबाइल नंबर 7877092762 पर कॉल करवाया गया। कॉल के दौरान परिवादी के द्वारा पूर्व की वार्ताओं के संदर्भ में आरोपी श्री अरुण कुमार अटल को नंबर सेंड करने का कहने पर आरोपी ने अभी नंबर सेंड करने की बात कही, इसी कॉल के दौरान परिवादी ने आरोपी श्री अरुण कुमार अटल को मनचाही जगह नियुक्ति दिलवाने के लिए कहने पर सहमति व्यक्त की। इस प्रकार संपूर्ण तथ्यों के आधार पर आरोपी श्री अरुण कुमार अटल द्वारा परिवादी श्री साहिल कुमार की मनचाही जगह अनुकंपात्मक नियुक्ति करवाने की बात कर 20000 रुपये रिश्वत राशि की ऑनलाईन मांग करने के तथ्य स्पष्ट होने पर कार्यवाही के क्रम में परिवादी के मोबाइल व्हाट्सऐप नंबर 7877092762 में आरोपी श्री अरुण कुमार अटल का व्हाट्सऐप नंबर 7877092762 की चैटिंग विंडो को खोला गया व मुझ पुलिस निरीक्षक द्वारा मेरे सैमसंग मोबाइल में वीडियो रिकॉर्डिंग चालू किया

जाकर परिवादी साहिल कुमार की उक्त मोबाइल स्क्रीन की वीडियो रिकॉर्डिंग की जानी प्रारंभ की गई। इसी दौरान समय 08:14 एएम पर आरोपी के व्हाट्सऐप नंबर 7877092762 से परिवादी के व्हाट्सऐप नंबर 7877092762 पर दो संदेश "9119141872" तथा "In par" प्राप्त हुए। इस पर रिश्वत राशि ट्रांजैक्शन हेतु परिवादी की ओर से आरोपी को एक रुपया भेजने के संदेश भेजे गए तत्पश्चात् परिवादी द्वारा अपने फोनपे नंबर 9983659595 से आरोपी द्वारा उपलब्ध करवाए गए फोनपे नंबर 9119141872 पर एक रुपया ट्रांसफर किया गया। उक्त फोनपे नंबर 9119141872 पर नाम "RAKSHANDA KUMARI KASOTIYA" प्रकट हुआ। परिवादी द्वारा एक रुपया ट्रांसफर किए जाने का स्क्रीनशॉट आरोपी के व्हाट्सऐप नंबर 7877092762 पर समय 08:16 एएम पर शेयर किया जाकर आरोपी को चैक करने के लिए मैसेज किया गया। इसके उत्तर में आरोपी द्वारा समय 08:17 एएम पर दो मैसेज "Ha shi" "H" भेजे गए, तत्पश्चात् वीडियो रिकॉर्डिंग को ऑफ किया गया। परिवादी द्वारा आरोपी को भेजी जाने वाली शेष रिश्वत राशि 19999 रुपये हेतु पुनः मुझ पुलिस निरीक्षक द्वारा मेरे सैमसंग मोबाइल में वीडियो रिकॉर्डिंग चालू किया जाकर परिवादी साहिल कुमार की उक्त मोबाइल स्क्रीन की वीडियो रिकॉर्डिंग की जानी प्रारंभ की गई व परिवादी द्वारा अपने फोनपे नंबर 9983659595 से शेष रिश्वत राशि 19999 रुपये आरोपी के फोनपे नंबर 9119141872 नाम "RAKSHANDA KUMARI KASOTIYA" पर भिजवाए जाकर समय 08:19 एएम पर स्क्रीनशॉट आरोपी के व्हाट्सऐप नंबर 7877092762 पर शेयर किया गया। तत्पश्चात् परिवादी श्री साहिल कुमार द्वारा आरोपी के मोबाइल नंबर 7877092762 पर कॉल किया गया तो आरोपी द्वारा बाईक पर होने, दो मिनट रुकने तथा रोकने की बात कही और कॉल डिस्कनैक्ट कर दिया। कुछ देर प्रतीक्षा की जाकर परिवादी से आरोपी को पुनः कॉल करवाए जाने पर आरोपी द्वारा कॉल का उत्तर नहीं दिया गया। इस दौरान समय 11:17 एएम पर परिवादी श्री साहिल कुमार के मोबाइल में आरोपी द्वारा व्हाट्सऐप मैसेज "Free Hoke bat kruga", "Presan na ho", "Aap", "Saab k sath", "Hu" भेजे गए। परिवादी से दोनों ट्रांजैक्शन संबंधी ट्रांजैक्शन डिटेल प्राप्त की जाकर प्रिंटआउट लिया जाकर शामिल कार्यवाही कागजात किया गया। ट्रांजैक्शन डिटेल निम्न प्रकार से है—

Transaction ID	UTR	PAID AMOUNT, Rs.	PAID TO	BANKING NAME
T2207290816195257266818	221041663044	1	9119141872	RAKSHANDA KUMARI KASOTIYA
T2207290818369054173485	221053114648	19,999	9119141872@YBL	RAKSHANDA KUMARI KASOTIYA

इस प्रकार आरोपी श्री अरुण कुमार अटल, एलडीसी, प्रतिनियुक्ति सचिवालय, जयपुर, मूल विभाग—जल भवन, जयपुर द्वारा परिवादी से उपर्युक्तानुसार व्हाट्सऐप चैट एवं सत्यापन के दौरान हुई वार्ता अनुसार परिवादी श्री साहिल पुत्र स्व. राजेंद्र कुमार फंडा को अनुकंपात्मक नियुक्ति पर इच्छित स्थान पर पदस्थापन करवाने की ऐवज में रिश्वत की मांग कर, मांग अनुसरण में उपर्युक्तानुसार कुल 20000 रुपये रिश्वत राशि ऑनलाईन प्राप्त की गई। रिश्वत राशि प्राप्ति संबंधी फर्द ट्रांजैक्शन तैयार की जाकर संबंधित के हस्ताक्षर करवाए गए। कार्यवाही के दौरान परिवादी के मोबाइल में आरोपी की व्हाट्सऐप चैटिंग के लिए गए स्क्रीनशॉट व वक्त ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड किए गए दो वीडियो क्लिप के दो पैन ड्राइव तैयार कर एक पैन ड्राइव को सील चिट किया गया उक्त कार्यवाही की विस्तृत फर्द प्रिंटआउट चैटिंग वार्ता स्क्रीनशॉट व दो वीडियो क्लिप रिकॉर्डेड तैयार की जाकर सभी संबंधित के हस्ताक्षर करवाए गए। सत्यापन वार्ता दिनांक 26.07.2022, 27.07.2022 व 28.07.2022 की दोनों स्वतंत्र गवाहों, परिवादी के समक्ष फर्द ट्रांसक्रिप्ट तैयार की जाकर रिकॉर्ड वार्ताओं के दो पैन ड्राइव तैयार कर एक पैन ड्राइव को कपड़े की थैली में सील मोहर किया गया। मूल मेमोरी कार्ड को कपड़े की थैली में सील मोहर कर संबंधित के हस्ताक्षर करवाए गए। इसके पश्चात् दिनांक 29.07.2022 को ट्रांजैक्शन के समय हुई वार्ताओं की फर्द ट्रासक्रिप्ट रुबरु गवाहान व परिवादी के तैयार कर रिकॉर्ड वार्ताओं के दो पैन ड्राइव तैयार कर एक पैन ड्राइव को सील मोहर किया गया। कार्यवाही में प्रयुक्त पीतल की सील की फर्द नमूना सील तैयार की गई तथा समस्त वजह सबूत सील होने पर पीतल की सील को रुबरु गवाहान नष्ट किया गया। उक्त कार्यवाही की अंतिम फर्दात तक आरोपी की ओर से कोई कॉल नहीं आई। तत्पश्चात् परिवादी को एवं दोनों गवाहों को कार्यवाही से प्रस्थान अनुमति प्रदान की गई। तत्पश्चात् गोपनीय रुप से श्री अरुण कुमार

अटल के पदस्थापन संबंधी पूर्ण अधिकृत जानकारी प्राप्त की गई तो आरोपी श्री अरुण कुमार अटल कनिष्ठ सहायक के पद पर कार्यालय मुख्य अभियंता (प्रशासन) जन स्वा. अभि. विभाग, जयपुर हाल पदस्थापन संयुक्त सचिव–प्रथम, जन स्वा. अभि. विभाग, सचिवालय, जयपुर में होना ज्ञात हुआ।

इस प्रकार उपरोक्त समस्त कार्यवाही अनुसार आरोपी श्री अरुण कुमार अटल पुत्र स्व. कालूराम अटल, निवासी रामदेव कॉलोनी, ग्रा.पो. कूकस, तहसील आमेर, जिला जयपुर हाल कनिष्ठ सहायक, कार्यालय मुख्य अभियंता (प्रशासन) जन स्वा. अभि. विभाग, जयपुर हाल पदस्थापन संयुक्त सचिव–प्रथम, जन स्वा. अभि. विभाग, सचिवालय, जयपुर द्वारा परिवादी से उपर्युक्तानुसार व्हाट्सऐप चैट एवं सत्यापन के दौरान हुई वार्ता अनुसार परिवादी श्री साहिल पुत्र स्व. राजेंद्र कुमार फंडा को अनुकंपात्मक नियुक्ति पर इच्छित स्थान पर पदस्थापन करवाने की ऐवज में रिश्वत की मांग कर, मांग अनुसरण में उपर्युक्तानुसार कुल 20000 रुपये रिश्वत राशि ऑनलाईन प्राप्त की गई है। आरोपी श्री अरुण कुमार अटल का उक्त कृत्य अपराध अंतर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 यथासंशोधन वर्ष 2018 के तहत घटित होना पाया जाता है।

अतः उक्त तथ्यों पर आरोपी श्री अरुण कुमार अटल पुत्र स्व. कालूराम अटल, निवासी रामदेव कॉलोनी, ग्रा.पो. कूकस, तहसील आमेर, जिला जयपुर हाल कनिष्ठ सहायक, कार्यालय मुख्य अभियंता (प्रशासन) जन स्वा. अभि. विभाग, जयपुर हाल पदस्थापन संयुक्त सचिव–प्रथम, जन स्वा. अभि. विभाग, सचिवालय, जयपुर के विरुद्ध उपरोक्त धारा में बिना नंबरी एफआईआर वास्ते पंजीयन एवं कमांकन हेतु श्रीमान् महानिदेशक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर की सेवा में प्रेषित है।

(आनन्द मिश्रा)
पुलिस निरीक्षक
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो
बीकानेर

कार्यवाही पुलिस

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री आनन्द मिश्रा, पुलिस निरीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, बीकानेर ने प्रेषित की है। मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में अभियुक्त श्री अरूण कुमार अटल, कनिष्ठ सहायक, कार्यालय मुख्य अभियंता (प्रशासन) जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, जयपुर हाल पदस्थापन संयुक्त सचिव-प्रथम, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, सचिवालय, जयपुर के विरूद्ध घटित होना पाया जाता है। अतः अपराध संख्या 302/2022 उपरोक्त धारा में दर्ज कर प्रतियाँ प्रथम सूचना रिपोर्ट नियमानुसार कता कर तफ्तीश जारी है।

2.8.22
पुलिस अधीक्षक-प्रशासन,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो जयपुर।

कमांकः 2649-53 दिनांकः 2.8.2022

प्रतिलिपिः-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. विशिष्ठ न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, बीकानेर।
2. अतिरिक्त महानिदेशक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।
3. मुख्य अभियंता (प्रशासन), जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, बीकानेर।
5. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, बीकानेर।

2.8.22
पुलिस अधीक्षक-प्रशासन,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो जयपुर।